

ज्ञापांक- 1/ छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-13/2009- पटना-15, दिन  
सेवा में,

188

महालेखाकार,  
दीरचन्द पटेल मार्ग,  
बिहार, पटना।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2011-12 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹2413.88 लाख (चौबीस करोड़ तेरह लाख अठठासी हजार 00) मात्र की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु बजट उपबन्ध के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-44 दिनांक-17.08.2011 द्वारा योजना मद में कुल 2200.00 लाख (बाइस करोड़ 00) मात्र स्वीकृति की गयी है। पुनः उक्त योजना अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि ₹2413.88 लाख (चौबीस करोड़ तेरह लाख अठठासी हजार 00) मात्र जिसका बजट उपबन्ध प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा किया गया है, को संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

उक्त स्वीकृत राशि से निम्नांकित रूप से छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

(क) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के नवीकरण की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 के छात्र/छात्राओं की बकाये छात्रवृत्ति की राशि का भी भुगतान किया जा सकेगा।

(ग) इस राशि से राज्य के बाहर अध्यनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जायेगा। राज्य के बाहर अध्यनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति के उपरान्त अवशेष राशि से राज्य के अन्दर अध्यनरत छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जा सकेगी।

2- कुल भारित व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजना बजट शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-माँग संख्या-11 केन्द्र प्रायोजित योजना-277-शिक्षा-0601-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, कूट संख्या-4201, विपत्र कोड-C2225032770601-योजना आयोग स्कीम कोड-0986 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सम्बन्धी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। इसके अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ताओं का भुगतान उनके भारतीय स्टेट बैंक के e-z pay card के माध्यम से किया जायगा। साथ ही नियमानुसार स्वीकृत अनिवार्य शुल्क का भुगतान (लौटाने योग्य राशि छोड़कर) शिक्षण संस्थान को बैंक खाता के माध्यम से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा।

4- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक- 2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

5- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं राशि का व्यय पूर्व से निर्गत विभागीय परिपत्रों एवं केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर जनवरी 2012 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय, ताकि इस राशि को अन्य जिलों को पुनः स्वीकृत किया जा सके एवं किसी भी हालत में 31.03.2012 के बाद अवशेष राशि बैंक खाते/नगद में नहीं रखा जाय।

6- संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
(रवि परमार)  
सरकार के सचिव।

187)

ज्ञापांक-1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-13/2009- पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय  
उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा  
वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-13/2009- 48 पटना-15, दिनांक-20-10-11

प्रतिलिपि- ई0वी0 थोमस, अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,  
ए0 विंग, शास्त्री भवन, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव 20/10/11

वित्तीय वर्ष 2011-12 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में स्वीकृति राशि की विवरणी।

188

1	जिला का नाम 2	स्वीकृत राशि 3 (राशि लाख में)
1	पटना	300.00
2	नालंदा	125.00
3	रोहतास	80.00
4	भभुआ	45.00
5	भोजपुर	10.00
6	बक्सर	50.00
7	गया	190.00
8	जहानाबाद	50.00
9	अरवल	25.00
10	नवादा	60.00
11	औरंगाबाद	60.00
12	सारण	100.00
13	सिवान	70.00
14	गोपालगंज	60.00
15	मुजफ्फरपुर	90.00
16	सीतामढ़ी	43.88
17	शिवहर	0
18	प० चम्पारण	60.00
19	पू० चम्पारण	60.00
20	वैशाली	60.00
21	दरभंगा	70.00
22	मधुबनी	50.00
23	समस्तीपुर	50.00
24	सहरसा	50.00
25	सुपौल	40.00
26	मधेपुरा	60.00
27	पूर्णियाँ	50.00
28	अररिया	20.00
29	किशनगंज	15.00
30	कटिहार	50.00
31	भागलपुर	80.00
32	बाँका	40.00
33	मुंगेर	50.00
34	लखीसराय	50.00
35	शेखपुरा	50.00
36	जमुई	50.00
37	खगड़िया	50.00
38	बेगूसराय	50.00
	कुल	2413.88

(चौबीस करोड़ तेरह लाख अठठासी हजार रू०)

पत्रांक- 48

दिनांक- 20-10-11 का अनुलग्नक

*[Signature]*  
(रवि परमार) 20/10/11  
सरकार के सचिव।